

राजस्थान सरकार  
तकनीकी शिक्षा विभाग

Speed post

क्रमांक : 4(8)त.शि./01पार्ट

जयपुर, दिनांक, 27 जून, 2018

प्राचार्य,

अभियांत्रिकी महाविद्यालय,

अजमेर/महिला

अजमेर/झालावाड़/भरतपुर/बीकानेर/बांसवाड़ा/धौलपुर/करौली/बाडमेर/  
बारां।

प्राचार्य,

कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी,

बीकानेर।

प्राचार्य,

माणिक्य लाल वर्मा टेक्सटाईल एण्ड इंजीनियरिंग कॉलेज,  
भीलवाड़ा।

विषय :- राज्य के अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के संबंधता शुल्क के संबंध में ली जा रही पेनल्टी को निरस्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार कुलसचिव, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा द्वारा राज्य के अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के संबंधता शुल्क के संबंध में ली जा रही पेनल्टी को निरस्त करने के संबंध में जारी आदेश क्रमांक एफ (2) 2 /2018/3788-93 दिनांक 20.6.2018 की फोटो प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवायी जा रही है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

संयुक्त सचिव, त.शि.

राजकीय महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर (राज.)
प्राप्ति संख्या. 355
दिनांक 5/7/18
प्राप्तकरी

Forwarded  
6/7/18



RAJASTHAN TECHNICAL UNIVERSITY, KOTA  
Rawatbhata Road, Kota - 324010  
Ph.No.-0744-2473003, Fax No.- 2473033  
email-registrar\_rtu@yahoo.co.in



कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव  
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग  
शासन सचिवालय जयपुर  
डायरी संख्या 1043  
दिनांक 20.6.18

कार्यालय आदेश

दिनांक 20.6.2018

विषय : राज्य की अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के सम्बद्धता शुल्क के संबंध में ली जा रही पेनल्टी को निरस्त करने के संबंध में।  
संदर्भ : तक0 शिक्षा विभाग, जयपुर पत्र क्रं0 4(8)त.शि./2001 पार्ट दिनांक 20.06.2018.

तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर के उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 35 (vii) के अन्तर्गत सम्बद्धता शास्ति आरोपित किये जाने के निर्णय के क्रम में आदेश जारी करने से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त नही होने के कारण विश्वविद्यालय के कार्यालय आदेश क्रं0 एफ(2)ग्रुप.18/सम्बद्धता

शुल्क/2013/14009-14 दिनांक 12.12.2013 द्वारा जारी सम्बद्धता शुल्क नियम के बिन्दु सं0 3 के अधीन विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त राजकीय अनुदानित महाविद्यालयों पर सम्बद्धता शुल्क पर आरोपित शास्ति को निरस्त किया जाता है।

यह आदेश उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में माननीय कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किये जा रहे हैं।

(डॉ0 आभा जैन)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि :

1. निजी सचिव माननीया उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदया, राजस्थान सरकार जयपुर
2. निजी सचिव, माननीया कुलपति महोदय
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार
4. संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार
5. डीन अकादमिक अफयर्स
6. वित्त नियंत्रक

(डॉ0 आभा जैन)

IS (TE): pruzera

SA  
20/06